



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112021-230967  
CG-DL-E-08112021-230967

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4242]  
No. 4242]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 6, 2021/कार्तिक 15, 1943  
NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 6, 2021/KARTIKA 15, 1943

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2021

का.आ. 4604(अ).—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23), की धारा 34 (1) (2) और (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला

बी.टेक कार्यक्रम संबंधी अध्यादेश

- 0.1 संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी बी.टेक कार्यक्रम इन बी.टेक अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होंगे।
- 0.2 बी.टेक अध्यादेश इन कार्यक्रमों के अंतर्गत किसी भी नए विषय(विषयों) पर लागू होंगे, जिन्हें भविष्य में शुरू किया जा सकता है।
- 0.3 कोई भी छात्र इन अध्यादेशों द्वारा यथा-निर्धारित शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात बी.टेक डिग्री अवार्ड प्रदान किए जाने का पात्र होगा।
- 0.4 संस्थान में निम्नलिखित बी.टेक कार्यक्रम होंगे:

कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी (सीएसई) और आने वाले समय में कुछ और शाखाओं को शामिल किया जा सकता है।

### 1. शैक्षिक कैलेंडर

- 1.1 प्रत्येक शैक्षिक सत्र लगभग अठारह सप्ताह की अवधि (प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम न्यूनतम सत्र कार्य दिवस के साथ) के दो सेमेस्टर मानसून सेमेस्टर और शीतकालीन सेमेस्टर में बंटे होते हैं।
- 1.2 सीनेट, सत्र के लिए शैक्षणिक गतिविधियों की अनुसूची को मंजूरी देता है, जिसमें पंजीकरण की तारीखें, सेमेस्टर के बीच और सेमेस्टर अंत की परीक्षाएं, इंटर-सेमेस्टर ब्रेक आदि शामिल होते हैं, इन्हें सत्र के लिए शैक्षणिक कैलेंडर में निर्धारित किया जाएगा।

### 2. प्रवेश

- 2.1 भा.सू.प्रौ.स. अगरतला में अवर स्नातकों की प्रत्येक शाखा, जिसके लिए प्रवेश लिया जाना है, में सीटों की संख्या का निर्णय भा.सू.प्रौ.स. अगरतला की सीनेट द्वारा लिया जाएगा। सीटें समय-समय पर भारत सरकार के निर्णयों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग अभ्यर्थियों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होती हैं।
- 2.2 किसी भी वर्ष में बी.टेक कार्यक्रम में प्रवेश भारत सरकार के आदेशों पर आधारित होगा। वर्तमान में, ये संबंधित वर्ष के लिए सीएसएबी द्वारा आयोजित एक काउंसलिंग के माध्यम से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के दिशानिर्देशों के अनुसार संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मुख्य और एचएससी परीक्षाओं में प्रदर्शन पर आधारित होते हैं। यदि सीएसएबी के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो संस्थान स्वयं इन सीटों को भर सकता है।
- 2.3 संस्थान के किसी कार्यक्रम में अंतिम रूप से अथवा अन्यथा प्रवेश प्राप्त करने वाला प्रत्येक छात्र सीनेट द्वारा यथा-निर्धारित अर्हक डिग्री/अंतिम प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा। इन दस्तावेजों को निर्धारित तारीख से पहले प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।  
निर्धारित तारीख तक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने वाले अथवा प्रवेश की किसी अन्य पात्रता को पूरा नहीं करने वाले छात्र के अंतिम अथवा अन्यथा प्रवेश को सीनेट द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- 2.4 यदि यह पाया जाता है कि छात्र ने प्रवेश लेते समय कुछ गलत सूचना दी थी अथवा कुछ प्रासंगिक सूचना को छुपाया था, तो सीनेट द्वारा बाद में किसी भी छात्र के प्रवेश को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।
- 2.5 संस्थान किसी भी छात्र के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और उसे संस्थान असंतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन अथवा अनुशासनात्मक आधार पर उसके करिअर के किसी भी स्तर पर अपनी पढ़ाई को समाप्त करने के लिए कह सकता है।

### 3. उपस्थिति

- 3.1 क. यह आशा की जाती है कि सभी छात्र प्रत्येक विषय में सभी व्याख्यान, ट्यूटोरियल, प्रयोगशाला, व्यावहारिक और कार्यशाला कक्षाओं में भाग लेंगे। यदि किसी विषय में छात्र की उपस्थिति 75% से कम हो जाती है तो उसे सेमेस्टर मध्य/अंत की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे उस विषय में (अनुत्तीर्ण) 'एफए' ग्रेड दिया जाएगा।
- ख. शिक्षणेत्तर कार्यकलापों (ईएसी) जैसे एनसीसी, एनएसएस, एनएसओ आदि में एक छात्र को कुल कक्षाओं की कम से कम 75% उपस्थिति देनी होगी। छात्रों को समय-समय पर अधिसूचित शिविरों और कुछ अन्य कार्यकलापों/कार्यक्रमों संबंधी 75% कक्षाओं में भी उपस्थित होना होता है।

### 3.2 अनुपस्थिति अवकाश

- (क) यदि अवकाश कम अवधि (दो सप्ताह से कम) के लिए लिया जाता है, तो अवकाश के लिए पूर्व आवेदन संबंधित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अवकाश के कारणों को पूरी तरह से सहायक दस्तावेजों के साथ स्पष्ट किया जाएगा। यह अवकाश विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- (ख) बीमारी या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से एक सेमेस्टर में दो सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए अनुपस्थिति, जिसके लिए छात्र द्वारा पूर्व आवेदन नहीं किया जा सका, विभागाध्यक्ष द्वारा माफ की जा सकती है, बशर्ते कि वह उनके द्वारा दिए गए कारणों से संतुष्ट हो।
- (ग) यदि अनुपस्थिति की अवधि दो सप्ताह से अधिक हो जाती है, तो प्रत्येक मामले में विभागाध्यक्ष के माध्यम से डीन, शैक्षणिक कार्य, को सहायक दस्तावेजों के साथ पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अवकाश देने का निर्णय विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर डीन, शैक्षणिक कार्य द्वारा लिया जाएगा।
- (घ) एक आवेदन प्राप्त होने पर डीन, शैक्षणिक कार्य यह भी तय कर सकते हैं कि छात्र को लंबी अनुपस्थिति के कारण उस सेमेस्टर विशेष के पाठ्यक्रम को छोड़ने के लिए कहा जा सकता है अथवा नहीं।
- (ङ.) पैरा 3.2 (क) से (ग) के अनुसार अनुपस्थिति अवकाश को उपस्थिति के लिए नहीं गिना जाएगा।

3.3 छात्र की यह जिम्मेदारी होगी कि वह जिस छात्रावास में रह रहा है उसके वार्डन और संबंधित अनुदेशक(अनुदेशकों) को अवकाश लेने से पहले अपनी अनुपस्थिति के बारे में सूचित करें।

3.4 असाधारण परिस्थितियों में, डीन, शैक्षणिक कार्य, अध्यक्ष-सीनेट के परामर्श से उपर्युक्त अपेक्षाओं में छूट प्रदान कर सकते हैं।

### 4. आचरण और अनुशासन

- 4.1 संस्थान परिसर के अंदर और बाहर छात्रों का आचरण राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के छात्रों की गरिमा के अनुकूल होना चाहिए।
- 4.2 भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, किसी भी प्रकार की रैगिंग पर प्रतिबंध है। रैगिंग को अत्यधिक अनुशासनहीनता माना जाएगा और इससे सख्ती से निपटा जाएगा।
- 4.3 किसी भी छात्र (छात्रों) की ओर से हुई निम्नलिखित चूकों और/अथवा किए गए कार्यों को आचार संहिता का घोर उल्लंघन माना जाएगा और अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी:
- (क) रैगिंग
- (ख) परिसर के भीतर या बाहर कहीं भी शिष्टाचार और शालीनता का अभाव, अभद्र व्यवहार।
- (ग) संस्थान/छात्रावास अथवा सहपाठियों की किसी भी संपत्ति/सामान को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना या छुपाना
- (घ) मादक पेय या किसी भी प्रकार के हेल्सिनोजेनिक दवाओं को रखना, सेवन या वितरण
- (ङ) पुस्तकालय की पुस्तकों को विकृत करना या अनधिकृत रूप से रखना।
- (च) शोरगुल और अनुचित व्यवहार, सहपाठियों की पढ़ाई में बाधा डालना।
- (च) कंप्यूटर सिस्टम में हैकिंग (जैसे पूर्वानुमति से अन्य व्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करना, हेर-फेर करना और/या कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आदि की क्षति)
- (छ) घोर अनुशासनहीनता का कोई अन्य कार्य।

(ज) अपराध की गंभीरता के अनुरूप, डांट-फटकार, जुर्माना, छात्रावास से निष्कासन, परीक्षा से रोक, एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासन या संस्थान से सीधे निष्कासन की सजा हो सकती है।

4.4 (क) छात्रावास (ख) विभाग या कक्षा-कक्ष में और (ग) कहीं और किए गए अपराध के लिए क्रमशः वार्डन, विभागाध्यक्ष और छात्र मामलों के डीन को डांटने या दंड लगाने का अधिकार होगा।

डांट-फटकार के अलावा अन्य दंड से संबंधित सभी मामलों की सूचना अध्यक्ष, छात्र अनुशासन समिति को दी जाएगी।

4.5 अनुशासनहीनता के सभी प्रमुख कार्य, जिनका छात्रों के सामान्य निकाय पर गंभीर प्रभाव हो सकता है, और/ अथवा जिनके लिए एक समान और अधिक औपचारिक प्रकृति की जांच जरूरी हो सकती है, उन्हें सीनेट द्वारा नियुक्त छात्र अनुशासन समिति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

4.6 परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने से संबंधित मामलों की सूचना शैक्षणिक मामलों के डीन को उचित कार्रवाई करने के लिए दी जाएगी। कार्रवाई इस प्रकार होगी:-

यदि मध्यावधि/सत्र-अंत की परीक्षा में किसी भी छात्र को अनुचित साधन का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे केवल उस विषय के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा, शेष परीक्षा के लिए नहीं। ऐसे छात्र को उस विषय में 'एफ' ग्रेड प्रदान किया जाएगा, जिस विषय की परीक्षा में उसे अनुचित साधन अपनाते हुए पाया गया हो।

4.7 बड़े दंड की स्थिति में, पीड़ित पक्ष को अध्यक्ष, सीनेट के पास अपील करने का अधिकार होगा।

## 5. शाखा परिवर्तन

5.1 सामान्यतः अवर स्नातक कार्यक्रम (बी.टेक) की किसी विशेष शाखा में प्रवेश लेने वाला छात्र पाठ्यक्रम पूरा होने तक उसी शाखा में अध्ययन करता रहेगा।

5.2 तथापि, विशेष मामलों में संस्थान जेओएसए/सीएसएबी के माध्यम से प्रवेशित छात्र को पहले दो सेमेस्टर के बाद अध्ययन की एक शाखा से दूसरी शाखा में जाने की अनुमति दे सकता है। यह परिवर्तन नीचे 5.3 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अनुमत होगा।

5.3 केवल वही छात्र दूसरे सेमेस्टर के बाद शाखा परिवर्तन पर विचार करने के पात्र होंगे जिन्होंने:

(क) पूरक परीक्षा में किसी भी पाठ्यक्रम अपेक्षा के बिना, अपने पहले प्रयास में अपने अध्ययन के पहले दो सेमेस्टर में आवश्यक सभी सामान्य क्रेडिट पूरे किए हों।

(ख) दूसरे सेमेस्टर के अंत में 8.5 से कम सीजीपीए प्राप्त नहीं किया हो।

5.4 इच्छुक पात्र छात्रों द्वारा शाखा परिवर्तन के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में किया जाना चाहिए। उप रजिस्ट्रार (शैक्षणिक)/सहायक रजिस्ट्रार (शैक्षणिक) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के विषम सेमेस्टर की शुरुआत में आवेदन आमंत्रित करते हैं और भरे हुए फॉर्म अधिसूचना में निर्दिष्ट अंतिम तिथि तक जमा किए जाने चाहिए।

5.5 छात्र, वरीयता के अनुसार शाखा के छह (6) विकल्पों को सूचीबद्ध कर सकता है, जिनमें वह परिवर्तित करना चाहता है। आवेदन जमा करने के बाद विकल्प को बदलने की अनुमति नहीं होगी।

5.6 शाखा परिवर्तन केवल आवेदकों की योग्यता के क्रम में किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ दूसरे सेमेस्टर के अंत में प्राप्त सीजीपीए पर विचार किया जाएगा। टाई होने की स्थिति में, आवेदकों की जेईई रैंक पर विचार किया जाएगा।

5.7 आवेदकों को शाखा में परिवर्तन की अनुमति केवल पारस्परिक योग्यता के अनुसार इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि शाखा की संख्या, स्वीकृत संख्या से दस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.8 उपर्युक्त नियमों के अनुसार किए गए सभी शाखा परिवर्तन संबंधित आवेदकों के तीसरे सेमेस्टर से ही प्रभावी होंगे। इसके बाद शाखा परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.9 सभी शाखा परिवर्तन अंतिम होंगे और आवेदकों के लिए बाध्यकारी होंगे। किसी भी छात्र को किसी भी परिस्थिति में प्रस्तावित शाखा में परिवर्तन से मना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

## 6. पाठ्यक्रम संरचना

6.1 पाठ्यक्रमों के शिक्षण को क्रेडिट में गिना जाएगा। पाठ्यक्रमों को निम्नलिखित सामान्य पैटर्न के आधार पर क्रेडिट दिया जाता है:

एक घंटे की प्रत्येक व्याख्यान अवधि के लिए 1(एक) क्रेडिट। एक घंटे की प्रत्येक ट्यूटोरियल अवधि के लिए 1(एक) क्रेडिट।

दो घंटे की प्रत्येक प्रयोगशाला अथवा प्रैक्टिकल अथवा परियोजना सत्र के लिए 1 (एक) क्रेडिट।

तीन घंटे की अवधि की प्रत्येक प्रयोगशाला अथवा प्रैक्टिकल अथवा परियोजना सत्र के लिए 2(दो) क्रेडिट।

6.2 संस्थान की बी.टेक डिग्री के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, छात्र को पाठ्यक्रम में निर्धारित क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करना अपेक्षित है।

6.3 किसी भी सेमेस्टर में सामान्य रूप से छह से अधिक व्याख्यान आधारित पाठ्यक्रम और चार से अधिक प्रयोगशाला आधारित पाठ्यक्रम नहीं होंगे। तथापि, विशेष मामलों में, छात्रों को संकाय सलाहकार की सिफारिश और विभागीय स्नातक कार्यक्रम समिति (डीयूपीसी) के अनुमोदन के अधीन सात व्याख्यान-आधारित और पांच प्रयोगशाला/कार्यशाला आधारित पाठ्यक्रम लेने की अनुमति दी जा सकती है।

6.4 निर्धारित क्रेडिट आवश्यकता के अतिरिक्त एक छात्र को पहले 4 सेमेस्टर में से एक में अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों (ईएए) की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। छात्रों को ईएए में ग्रेड प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें ग्रेड कार्ड में दर्ज किया जाएगा, जिसमें एक विशेष छात्र उस हेतु पंजीकरण करता है लेकिन एसजीपीए और सीजीपीए की गणना के लिए इन्हें ध्यान में नहीं रखा जाता है।

6.5 पाठ्यक्रम कार्य आवश्यकताओं को व्यापक रूप से विषयों के निम्नलिखित चार मुख्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है:

(i) मानविकी और सामाजिक विज्ञान

(ii) बुनियादी विज्ञान और गणित

(iii) इंजीनियरिंग विज्ञान और अभ्यास

(iv) व्यावसायिक विषय

6.6 किसी विभाग के लिए कुल पाठ्यक्रम पैकेज में निम्नलिखित घटक होते हैं:

(i) संस्थागत मुख्य विषय

(ii) विभागीय मुख्य विषय

(iii) विभागीय वैकल्पिक विषय

(iv) संस्थागत वैकल्पिक विषय

- 6.7 प्रत्येक बी.टेक. कार्यक्रम में सीनेट द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए एक पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम होगा। डीयूपीसी, अवर स्नातक अध्ययन बोर्ड (बीयूजीएस) को भेजने से पहले विभाग द्वारा समय-समय पर प्रदान किए जाने वाले सभी अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम पर चर्चा और सिफारिश करेगा। बीयूजीएस विभागों के प्रस्तावों पर विचार करेगा और सीनेट को विचार और अनुमोदन के लिए सिफारिशें करेगा।
- 6.8 अनुदेश, परीक्षा और प्रोजेक्ट का माध्यम अंग्रेजी होगा।
- 6.9 किसी विशिष्ट विभाग के पाठ्यक्रम में प्रत्येक अवर स्नातक छात्र के लिए 6-8 सप्ताह के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। किसी छात्र को डिग्री के लिए पात्र घोषित किए जाने से पहले उसके द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण और/या फील्डवर्क संतोषजनक ढंग से पूरा किया जाना आवश्यक है। एक विशिष्ट विभाग के लिए पाठ्यक्रम में औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए एक क्रेडिट आवंटन दिखाया जाएगा। सामान्यतः ग्रीष्म अवकाश के दौरान छठे सेमेस्टर की पढ़ाई के तुरंत बाद औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
- 6.10 संकाय सलाहकार: छात्रों को उनके अध्ययन के पाठ्यक्रम की योजना बनाने और शैक्षणिक कार्यक्रम, व्यक्तित्व विकास, कैरियर योजना और कल्याण के संबंध में सामान्य सलाह प्राप्त करने के लिए, संबंधित विभाग जहां तक संभव हो, छात्रों के प्रत्येक बैच के लिए संकाय सलाहकार नियुक्त करेगा। पहले वर्ष में अकादमिक मामलों के डीन संकाय सलाहकारों को नियुक्त करेंगे।

## 7. पंजीकरण

- 7.1 प्रत्येक छात्र को इस तरह के पंजीकरण के लिए निर्धारित और अकादमिक कैलेंडर में अधिसूचित दिवस पर प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में संकाय सलाहकार के माध्यम से अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है।
- 7.2 जो छात्र इस उद्देश्य के लिए घोषित दिवस पर पंजीकरण नहीं कराते हैं, उन्हें निम्नलिखित शर्तों पर एक अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर शैक्षणिक कैलेंडर में अधिसूचित दिवस तक देर से पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है: -
- किसी भी सेमेस्टर में पंजीकरण की अनुमति पंजीकरण की निर्दिष्ट तिथि के बाद 7 (सात) दिनों की अवधि तक 1,000/- (एक हजार) रुपए के जुर्माने के साथ दी जाएगी।
  - किसी भी सेमेस्टर में पंजीकरण की निर्दिष्ट तिथि से पहले 7 (सात) दिनों की समाप्ति के बाद 7 (सात) दिनों की अवधि तक पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी, जिसमें 5,000/- (पांच हजार) रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
  - पंजीकरण की निर्दिष्ट तिथि के बाद 14 (चौदह) दिनों की समाप्ति के बाद कोई पंजीकरण नहीं होगा।
  - तथापि, यह उन छात्रों पर लागू नहीं होगा जो बैंक ऋण प्राप्त होने पर पंजीकरण करते हैं या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु जैसी अत्यावश्यक स्थिति में, बशर्ते बैंक ऋण या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की जानकारी पंजीकरण की अंतिम तिथि की समाप्ति के 3(तीन) दिन बाद डीन (अकादमिक) को दी जाती है।
- 7.3 निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले छात्रों को ही अगले सेमेस्टर में पंजीकरण करने की अनुमति होगी जिन्होंने :-
- (क) पिछले सेमेस्टर के सभी संस्थान, छात्रावास और पुस्तकालय बकाया और जुर्माना (यदि कोई हो) का भुगतान कर दिया है
- (ख) वर्तमान सेमेस्टर के लिए संस्थान और छात्रावास की सभी बकाया राशि का अपेक्षित अग्रिम भुगतान किया हो, और
- (ग) न्यूनतम शैक्षणिक आवश्यकता प्राप्त की हो।
- (घ) किसी विशिष्ट आधार पर पंजीकरण से वंचित नहीं किया गया हो।
- 7.4 पंजीकरण के दौरान निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

- (क) एक छात्र को तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रमों (5 वें सेमेस्टर के बाद) के लिए पंजीकरण करने से पहले सभी प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करना होगा।
- (ख) सामान्य तौर पर, एक सेमेस्टर के दौरान पंजीकृत क्रेडिट की संख्या पाठ्यक्रम में बताए गए निर्धारित क्रेडिट से कम नहीं होनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में डीन (अकादमिक) एक छात्र को एक सेमेस्टर में कम या ज्यादा क्रेडिट के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दे सकता है।
- 7.5 (क) किसी भी सेमेस्टर में किसी भी थ्योरी विषय में ग्रेड 'एफ' प्राप्त करने वाले छात्र पूरक परीक्षाओं में उपस्थित होकर इसे उत्तीर्ण कर सकते हैं।
- (ख) "प्रैक्टिकल विषयों में असफल छात्रों को 'एफ' ग्रेड प्रदान किया जाएगा। ऐसे छात्रों को अगले उपयुक्त सेमेस्टर में उन विषयों के लिए फिर से पंजीकरण कराना होगा।"
- (ग) इसी तरह, अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों में असफल होने की स्थिति में छात्र को अगले शैक्षणिक सत्र के उपयुक्त सेमेस्टर में इसके लिए फिर से पंजीकरण करना होगा।
- 7.6 बैंक ईयर वाले छात्रों को उस सेमेस्टर की ट्यूशन फीस का भुगतान करने से छूट दी गई है जिसमें उनका कोई बैंक पेपर शेष नहीं है।
- 7.7 एक छात्र जो 6.5 से कम सीजीपीए प्राप्त करता है, उसे एसोसिएट डीन (परीक्षा) की सिफारिशों पर शैक्षणिक मामलों के डीन द्वारा 3 विषयों में अधिकतम सुधार के लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें छात्र को कम से कम 'पी' ग्रेड मिला हो। वर्तमान शैक्षणिक सत्र के किसी भी विषय में 'एफ' या 'एफए' ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र को किसी भी विषय में सुधार के लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 7.8 एक छात्र को अधिकतम 5 विषयों में समानांतर और पूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी विषय में 'एफए' ग्रेड रखने वाले छात्र को विभाग के प्रमुख के अनुमोदन से संबंधित संकाय द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षाओं में आवश्यक संख्या में भाग लेने के बाद परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
- 7.9 यदि कोई छात्र कार्यक्रम के दौरान लगातार दो सेमेस्टर के लिए स्वयं को पंजीकृत करने में विफल रहता है, तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।
- 8. पूरक और समानांतर परीक्षा**
- 8.1 विषय (विषयों) में एफए ग्रेड वाले (उपस्थिति की कमी के कारण अनुत्तीर्ण) छात्रों को संस्थान के नियम के अनुसार अपेक्षित शुल्क के भुगतान पर 75% कक्षाओं में उपस्थित होने के बाद समानांतर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। कक्षाओं के कार्यक्रम की घोषणा विषय के संबंधित संकाय द्वारा सुविधा के अनुसार की जाएगी।
- तथापि, 2011 या उसके बाद दाखिल किए गए बी.टेक अंतिम वर्ष के छात्रों और विषय (विषयों) में एफए ग्रेड रखने वाले छात्रों को ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम में भाग लेने के बाद समानांतर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को प्रति विषय 5,000/- रुपये का भुगतान करना होगा।
- विषय (विषयों) में एफ ग्रेड वाले छात्रों को भी संस्थान के नियम के अनुसार अपेक्षित शुल्क के भुगतान पर बिना किसी कक्षा में उपस्थित हुए ग्रीष्म अवकाश के दौरान पूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
- 8.2 ग्रीष्म अवकाश के दौरान पूरक परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा सम सेमेस्टर परीक्षा के अंत में एसोसिएट डीन (परीक्षा) द्वारा की जाएगी। एक छात्र को एसोसिएट डीन (परीक्षा) द्वारा घोषित किए जाने वाले निर्धारित समय के भीतर संस्थान के नियम के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करके पूरक/ सुधार परीक्षा के लिए पंजीकरण करना होगा।
- 8.3 एफए ग्रेड वाले छात्रों के लिए किसी भी समानांतर परीक्षा के लिए संपर्क घंटों की कुल संख्या नियमित पाठ्यक्रम के समान होगी। समानांतर परीक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया भी नियमित सेमेस्टर पाठ्यक्रम की प्रक्रिया के समान होगी। पूरक समानांतर/सुधार परीक्षा के परिणाम पर ग्रेड निम्नलिखित तरीके से दिए जाएंगे:-

पूरक/समानांतर/ सुधार परीक्षा में प्राप्त ग्रेड	प्रदान किए जाने वाले ग्रेड
Ex	A
A	B
B	C
C	D
D	P
P	P
F	F

## 9. कार्यक्रम की अवधि

9.1 सामान्य तौर पर छात्र को आठ सेमेस्टर में अवर स्नातक कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। तथापि, शैक्षणिक रूप से कमजोर जो छात्र अपने पहले प्रयास में कुछेक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं और उन्हें बाद के सेमेस्टर में दोहराना पड़ता है तो उन्हें डिग्री की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार 12 सेमेस्टर (पहले सेमेस्टर पंजीकरण से) तक की अनुमति दी जा सकती है।

तथापि, यदि किसी छात्र को चिकित्सा आधार पर एक या अधिक सेमेस्टर को छोड़ने की अनुमति दी जाती है, तो छोड़े गए सेमेस्टर को संस्थान में ठहरने की अधिकतम अवधि के लिए गिना जाएगा।

9.2 यदि कोई छात्र 12 सेमेस्टर की अधिकतम सीमा के भीतर बी.टेक पूरा करने में विफल रहता है, तो मामले का निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अलग से किया जाएगा।

## 10. संस्थान से अस्थायी निकासी

10.1 वह छात्र, जिसे संस्थान के अवर स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, को एक सेमेस्टर या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवार में लंबी बीमारी या गंभीर आपदा के आधार पर संस्थान से अस्थायी रूप से निकासी की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते:

(क) वह सेमेस्टर के शुरू होने के कम से कम 6 सप्ताह के भीतर या जिस तारीख से उसने आखिरी बार अपनी कक्षाओं में भाग लिया था, जो भी बाद में हो, संस्थान में आवेदन करता है जिसमें उसके अभिभावक के समर्थन दस्तावेजों और अनुमोदन के साथ निकासी के कारणों को पूरी तरह से बताया गया हो।

(ख) संस्थान इस बात से संतुष्ट है कि निकासी की अवधि की गणना करते हुए, छात्र द्वारा ऊपर पैरा 10 में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर बी.टेक डिग्री की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की संभावना है।

(ग) संस्थान/छात्रावास/पुस्तकालय/एनसीसी/एनएसओ की कोई बकाया राशि या मांग नहीं है।

10.2 एक छात्र, जिसे पैरा 10.1 के प्रावधानों के तहत संस्थान से अस्थायी रूप से निकासी की अनुमति दी गई है, को रोल लिस्ट में उसके नाम होने की तारीख तक शुल्क/ प्रभार (ट्यूशन फीस और छात्रावास बकाया को छोड़कर) का भुगतान करना आवश्यक होगा। तथापि, एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

10.3 वे छात्र, जिन्होंने 4 (चार) या अधिक थ्योरी और प्रैक्टिकल विषयों में एफ और एफए ग्रेड प्राप्त किया है, अगले सेमेस्टर के लिए पंजीकरण करने के लिए प्रतिबंधित हैं, उनके लिए सेमेस्टर शुल्क उस बीच की अवधि के लिए शिक्षण शुल्क और अन्य आवश्यक शुल्क/ प्रभार होगा, जब तक कि उसका नाम रोल लिस्ट में शामिल नहीं हो जाता, भले ही उनके पास उस विशेष वर्ष में किसी भी सेमेस्टर के लिए कोई बैकलॉग पेपर न हो।



10.4 छात्र को अवर स्नातक कार्यक्रम के छात्र के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान केवल एक ही अस्थायी निकासी की अनुमति होगी।

## 11. कार्यक्रम से निषेध/निलंबन

एक छात्र को निम्नलिखित आधारों पर संस्थान छोड़ना आवश्यक है:

यदि किन्हीं दो सेमेस्टर (एक शैक्षणिक वर्ष) के अंत में एक छात्र ने 4 (चार) या अधिक थ्योरी और प्रैक्टिकल विषयों में "एफ" और "एफए" ग्रेड प्राप्त किया है, तो उसे अगले सेमेस्टर विषयों के लिए पंजीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन विषयों के लिए पंजीकरण करना होगा जिसमें उसने पिछले दो सेमेस्टर में "एफ" और "एफए" ग्रेड प्राप्त किए हैं (अर्थात् एक छात्र को केवल 3 बैक पेपर के साथ आगे बढ़ाया जाएगा)।

(क) यदि कोई छात्र बिना स्वीकृत छुट्टी के एक सेमेस्टर में 6 (छह) सप्ताह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम सूची से काट दिया जाएगा।

(ख) छात्र अनुशासन समिति की सिफारिशों पर अनुशासनात्मक आधार पर एक छात्र को संस्थान छोड़ने की भी आवश्यकता हो सकती है।

## 12. ग्रेडिंग प्रणाली

12.1 छात्र के प्रदर्शन के आधार पर, प्रत्येक छात्र को छमाही के अंत में प्रत्येक विषय में अंतिम लेटर ग्रेड से सम्मानित किया जाता है। संस्थान एक पूर्ण ग्रेड प्रणाली का पालन करता है और सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषय के लिए अलग-अलग पैमाने हैं। लेटर ग्रेड और संबंधित ग्रेड अंक इस प्रकार हैं:

### सैद्धांतिक विषय

अंकों का प्रतिशत	ग्रेड	प्वाइंट
90 और ऊपर	एक्स	10
80-89	ए	09
70-79	बी	08
60-69	सी	07
50-59	डी	06
40-49	पी	05
40 से नीचे	एफ	--

### प्रायोगिक विषय

अंकों का प्रतिशत	ग्रेड	प्वाइंट
90 और ऊपर	एक्स	10
80-89	ए	09
70-79	बी	08
60-69	सी	07
50-59	डी	06
50 से नीचे	एफ	--

इसके अलावा, जिन छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हैं उनके लिए दो पारगमन ग्रेड 'आई' और 'एक्स' होंगे।

12.2 किसी छात्र द्वारा कोई पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हुआ और क्रेडिट अर्जित किया हुआ तब माना जाता है यदि उसने उक्त सेमेस्टर में 'आई' अथवा 'एफ' के अतिरिक्त कोई लेटर ग्रेड प्राप्त किया हो। किसी भी सेमेस्टर में लेटर ग्रेड 'एफ' का अर्थ उस विषय में अनुत्तीर्ण होना होगा।

12.3 यदि किसी छात्र को उपस्थिति की कमी के कारण परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उसे विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। इसे सामान्य विफलता से अलग करने के लिए इसे ग्रेड कार्ड में "एफ ए" के रूप में दिखाया जाएगा।

12.4 पारगमन ग्रेड 'आई' और 'एक्स'

(क) किसी पाठ्यक्रम का कोई अध्यापक किसी छात्र को 'आई' ग्रेड प्रदान कर सकता है यदि छात्र (i) बीमारी अथवा दुर्घटना, जिसके कारण वह परीक्षा में भाग लेने में असमर्थ रहा हो (ii) परीक्षा के समय परिवार में कोई आपदा, जिसके कारण संस्थान के विचार से छात्र को कैम्पस से जाना आवश्यक था, के परिणामस्वरूप अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर मजबूर था। कोई छात्र 'आई' ग्रेड प्राप्त करने का पात्र केवल तभी होगा जब उसकी कक्षा में उपस्थिति और मूल्यांकन के अन्य घटकों में प्रदर्शन पूरा और संतोषजनक रहा हो।

(ख) किसी विषय का कोई अध्यापक किसी छात्र को 'एक्स' ग्रेड प्रदान कर सकता है यदि पाठ्यक्रम में छात्र का समग्र प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन उसके द्वारा सेमेस्टर अंत की परीक्षा के आधार पर 'एफ' ग्रेड प्राप्त करने की संभावना है।

(ग) अध्यापकों द्वारा दिए गए सभी 'आई' और 'एक्स' ग्रेड को उनके द्वारा उपयुक्त लेटर ग्रेड में परिवर्तित किया जाना चाहिए और संबंधित मेक-अप परीक्षा के निर्धारित दिनों में शैक्षणिक अनुभाग (विभाग के प्रमुख के माध्यम से) को सूचित किया जाना चाहिए। कोई भी शेष 'आई' और 'एक्स' ग्रेड अंतिम निर्धारित मेकअप परीक्षा के दो दिन बाद स्वतः ही 'एफ' ग्रेड में परिवर्तित हो जाएगा।

12.5 प्रत्येक सेमेस्टर के लिए एक सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :-

$$SGPA = \frac{\sum_{i=1}^n C_i G_i}{\sum_{i=1}^n C_i}$$

जहां,

n सेमेस्टर के दौरान पंजीकृत पाठ्यक्रमों की संख्या है।

C<sub>i</sub> किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए आवंटित क्रेडिट की संख्या है, और

G<sub>i</sub> पाठ्यक्रम के लिए दिए गए ग्रेड के अनुरूप ग्रेड अंक हैं।

12.6 प्रत्येक छमाही के अंत में एक संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :-

$$CGPA = \frac{\sum_{i=1}^n *C_i S_i}{\sum_{i=1}^n *C_i}$$

जहां,

S संबंधित सेमेस्टर का एसजीपीए है।

\*C संबंधित सेमेस्टर का कुल क्रेडिट है।

- 12.7 एसजीपीए और सीजीपीए दोनों को दशमलव के दूसरे स्थान तक राउंड ऑफ किया जाएगा और उसी प्रकार दर्ज किया जाएगा। जब इन सीजीपीए का प्रयोग छात्रों के किसी समूह की योग्यता मेरिट को निर्धारित करने के उद्देश्य से किया जाता है तो केवल राउंड ऑफ की गई संख्या का ही उपयोग किया जाएगा।
- 12.8 जब कोई छात्र सेमेस्टर के दौरान किसी भी पाठ्यक्रम के लिए 'आई' या 'एक्स' ग्रेड प्राप्त करता है, तो उस सेमेस्टर के लिए एसजीपीए और उस सेमेस्टर के अंत में सीजीपीए की गणना अंतिम रूप से 'आई' और 'एक्स' ग्रेडेड पाठ्यक्रमों को छोड़कर की जाएगी। 'आई' और 'एक्स' ग्रेड को उपयुक्त ग्रेड में बदलने के बाद, उस सेमेस्टर के एसजीपीए और सीजीपीए की पुनर्गणना अंततः परिवर्तित ग्रेड को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।
- 12.9 तथापि, अगर स्नातक कार्यक्रमों के लिए ऐसी कुछ अन्य शैक्षिक आवश्यकताएं हैं जहां छात्रों को निम्नलिखित दो ग्रेड अर्थात् 'पी'-उत्तीर्ण और 'एफ'-अनुत्तीर्ण दिये जाएंगे। सभी गैर-क्रेडिट पाठ्यक्रम (जैसे क्षेत्र का दौरा और अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियां) इस श्रेणी में आते हैं। इन ग्रेडों से जुड़े किसी भी ग्रेड प्वाइंट और इन पाठ्यक्रमों में प्रदर्शन को एसजीपीए अथवा सीजीपीए की गणना में नहीं लिया जाता है। तथापि, डिग्री प्रदान किया जाना इन सभी विषयों में 'पी' ग्रेड प्राप्त किये जाने के अध्यधीन होता है।
- 12.10 इंजीनियरिंग की सभी शाखाओं के बी.टेक. अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ग्रैंड वाइवा होगा। इस तरह के ग्रैंड वाइवा में अकादमिक पृष्ठभूमि वाले उद्योगपति या औद्योगिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षाविद को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और मौखिक परीक्षा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- 12.11 व्यावसायिक प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद प्रत्येक छात्र को अपने संबंधित विभाग में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। हालांकि यह एक गैर-क्रेडिट विषय होगा।

### 13. प्रदर्शन का आकलन

- 13.1 पूरे सेमेस्टर में एक छात्र के प्रदर्शन का निरंतर मूल्यांकन होगा और संबंधित अध्यापक या इस उद्देश्य के लिए बनाई गई उपयुक्त समिति द्वारा निम्नलिखित आधार पर ग्रेड प्रदान किए जाएंगे।
- (क) (i) सैद्धांतिक विषयों के मामले में मूल्यांकन अध्यापकों के आकलन, प्रश्नोत्तरी, मध्य सेमेस्टर परीक्षा और सेमेस्टर के अंत में परीक्षा के आधार पर होगा, और
- (ii) सत्रीय विषयों (प्रयोगशाला/डिजाइन/ड्राइंग/कार्यशाला आदि) के मामले में मूल्यांकन उपस्थिति, सौंपे गए कार्यों के आकलन और सेमेस्टर के अंत में परीक्षा टेस्ट/वाइवा के आधार पर होगा।
- (ख) परियोजना कार्य का मूल्यांकन अध्यापक द्वारा सौंपे गए सत्रीय कार्य, संगोष्ठी, परियोजना रिपोर्ट और परियोजना मूल्यांकन समिति के आकलन पर आधारित होगा (नीचे पैरा 13.2 भी देखें)
- (ग) अन्य आवश्यकताओं जैसे संगोष्ठी, व्यापक मौखिक परीक्षा, अतिरिक्त शिक्षणोत्तर गतिविधियों आदि के मामले में ग्रेड प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार।
- (घ) संस्थान के परीक्षा/शैक्षणिक अनुभाग द्वारा मध्य सेमेस्टर और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा प्रत्येक सेमेस्टर में केंद्रीय रूप से आयोजित की जाएगी।

इन परीक्षाओं के समय छात्रों को प्रवेश पत्र जारी किया जाता है। यदि प्रवेश पत्र खो जाता है, तो 200/- रुपये की राशि जमा कराने पर एक डुप्लीकेट प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। इसे आईडी कार्ड दिखा कर परीक्षा अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

छात्र परीक्षा समाप्त होने के बाद चालान के माध्यम से संस्थान के खाते में अपेक्षित राशि का भुगतान कर परीक्षा अनुभाग से डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उसे परीक्षा के शेष दिनों में डुप्लीकेट प्रवेश पत्र लाना होगा।

यदि कोई छात्र डुप्लीकेट प्रवेश पत्र जारी करने के लिए अपेक्षित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उस सेमेस्टर का परिणाम देय राशि का भुगतान किए जाने तक रोक दिया जाएगा।

कक्षा टेस्ट या प्रश्नोत्तरी का आयोजन संबंधित अध्यापकों द्वारा किया जाएगा।

- (a) मध्य सेमेस्टर परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन के परिणाम संबंधित विषयाध्यापकों द्वारा परीक्षा के एक पखवाड़े के भीतर घोषित किए जाएंगे। यदि छात्र, मध्य सेमेस्टर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिन से 15 दिनों की अवधि के भीतर उत्तर-पुस्तिकाएं देखना चाहते हों तो अध्यापक छात्रों को उत्तर-पुस्तिकाएं भी दिखाएंगे।
- (b) किसी विषय के लिए अंतिम ग्रेड सेमेस्टर के अंत में परीक्षा के बाद संबंधित अध्यापक(कों) द्वारा व्यक्तिगत रूप से एसोसिएट्स डीन (परीक्षा) को सेमेस्टर के अंत में परीक्षा समाप्त होने के अगले दिन से 7 (सात) दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

### 13.2 परियोजनाओं का मूल्यांकन:

- (क) परियोजना कार्य आम तौर पर दो चरणों में होता है, जो प्रत्येक सेमेस्टर में होता है। पहले चरण के अंत में छात्र को परियोजना समन्वयक, सचिव, डीयूपीसी को निर्धारित तिथि तक अपने कार्य की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है और इसे आंतरिक परियोजना मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करना होता है। दूसरे सेमेस्टर में काम का दूसरा चरण जारी रहता है।
- (ख) (i) अध्यक्ष, डीयूपीसी दूसरे चरण की परियोजना को प्रस्तुत करने से कम से कम दो सप्ताह पहले परियोजना परीक्षकों के नाम अकादमिक अनुभाग को प्रस्तुत करेंगे। शैक्षिक अनुभाग में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार परियोजना रिपोर्ट की तीन अनबाउंड टंकित प्रतियां, प्रत्येक परीक्षक के लिए मौखिक परीक्षा की संभावित तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले विभाग को प्रस्तुत की जाएंगी।
- (ii) विभाग परियोजना प्रस्तुत करने की तिथि दर्ज करेगा और परियोजना रिपोर्ट परीक्षकों को भेजने की व्यवस्था करेगा। परियोजना समन्वयक मौखिक परीक्षा की तारीख की सूचना परीक्षकों को देगा और एक प्रति शैक्षणिक अनुभाग को भेजेगा। परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया जाएगा और परियोजना समन्वयक को परिणाम प्रस्तुत किया जाएगा, जो बदले में इसे अकादमिक अनुभाग को अग्रेषित करेगा।
- (iii) मौखिक परीक्षा के सफल समापन पर, प्रत्येक छात्र को विभाग और पर्यवेक्षक(कों) प्रत्येक को परियोजना रिपोर्ट की एक-एक संशोधित बाउंड कॉपी जमा करनी होगी।
- (ग) परियोजना कार्य में अपर्याप्त प्रगति वाले छात्रों के मामले में डीयूपीसी द्वारा परियोजना रिपोर्ट जमा करने की घोषित अंतिम तिथि से आमतौर पर 3 महीने से अधिक का समय विस्तार नहीं दिया जा सकता है। ऐसे मामले में संबंधित छात्रों को अस्थायी रूप से 'आई' ग्रेड प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, यदि अनुमत अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो 'आई' स्वतः ही 'एफ' ग्रेड में परिवर्तित हो जाएगा।

(घ) पहले चरण के मूल्यांकन में असफल होने वालों को अगले सेमेस्टर में पहले चरण के लिए पुनः पंजीकरण कराना होगा। इसी तरह, जो अंतिम (द्वितीय चरण) मूल्यांकन में 'एफ' ग्रेड प्राप्त करते हैं, उन्हें बाद के सेमेस्टर (ग्रीष्मकालीन सेमेस्टर सहित) में इसके लिए पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता होगी।

13.3 शिक्षणेत्तर गतिविधियों में प्रदर्शन का मूल्यांकन डीन (एसडब्ल्यू) के अनुभाग द्वारा किया जाएगा और ग्रेड के बारे में परीक्षा अनुभाग को सूचित करेगा।

14. लेटर ग्रेड प्रदान करने की पद्धति

14.1 शिक्षक(कों) को लेटर ग्रेड की दो प्रतियां उस विभागाध्यक्ष को, जिससे विषय संबंधित है, को शैक्षणिक कैलेंडर में निर्दिष्ट नियत तारीख तक प्रस्तुत करनी होंगी। विभागाध्यक्ष कैलेंडर में विनिर्दिष्ट नियत तिथि तक सभी ग्रेड परीक्षा अनुभाग को अग्रेषित करेंगे।

14.2 अंतिम सेमेस्टर की उत्तरपुस्तिकाओं को छोड़कर किसी विषय के सभी मूल्यांकित कार्य छात्रों को तत्काल वापस कर दिए जाएंगे। अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को संबंधित विभाग द्वारा संरक्षित किया जाएगा और ग्रेड में परिवर्तित अंकों के विवरण वाली शीट को भी संबंधित अध्यापक(कों) द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

14.3 पहले से ही प्रदान किए गए ग्रेड में परिवर्तन: यदि किसी छात्र को लगता है कि उसे पाठ्यक्रम में दिया गया ग्रेड सही नहीं है, तो वह पाठ्यक्रम अध्यापक से अंतिम सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिका दिखाने का अनुरोध कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परिणाम के प्रकाशन से पहले सभी प्रश्नों का मूल्यांकन किया गया है।

14.4 यदि कोई छात्र किसी भी परीक्षा में किसी भी विषय(यों) के परिणाम से संकाय से उत्तर पुस्तिका(ओं) को देखने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, तो परिणाम प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर 500 रुपये प्रति विषय का शुल्क भुगतान करके विषय के अंकों की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है।

14.5 थ्योरी के विषयों में अंकों का वितरण:-

विभिन्न अवर स्नातक कार्यक्रमों के विषय और सम सेमेस्टर के किसी भी विषय के अंकों का संशोधित वितरण निम्नानुसार होगा:

- i) उपस्थिति - 05
- ii) प्रश्नोत्तरी - 05
- iii) क्लास टेस्ट - 10
- iv) असाइनमेंट - 10
- v) मध्यावधि - 20
- vi) अंतिम अवधि - 50

हालांकि, मध्यावधि और अंतिम अवधि की परीक्षा क्रमशः 50 और 100 में से आयोजित की जाएगी।

प्राैक्टिकल विषयों में मौखिक परीक्षा के 20 अंकों का वितरण:-

मौखिक परीक्षा के 20 अंकों का वितरण इस प्रकार होगा:-

- लिखित परीक्षा/प्रश्नोत्तरी 10 अंक
- प्रत्येक सेमेस्टर में मौखिक परीक्षा 10 अंक

**15. परीक्षाएं**

- 15.1 विषयों (थ्योरी, प्रयोगशाला और सत्रीय), सेमिनारों, परियोजना कार्य आदि में छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने में, संस्थान द्वारा सतत मूल्यांकन की प्रणाली को अपनाया जाता है। इस अभ्यास के रूप, शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन और प्रश्नोत्तरी आदि के अतिरिक्त प्रत्येक सैद्धांतिक विषय के लिए एक मध्य सेमेस्टर परीक्षा और एक अंतिम सेमेस्टर परीक्षा होगी।
- 15.2 एक छात्र को निम्न कारणों से मध्य या/और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है:
- (a) यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है
  - (b) एक शिक्षक की सिफारिश पर, यदि
    - (i) व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रेक्टिकल कक्षाओं में उसकी उपस्थिति 75% से कम रही हो।
    - (ii) सत्र के दौरान किए गए सत्रीय कार्यों में उनका प्रदर्शन असंतोषजनक रहा हो।
- 15.3 अंतिम वर्ष के छात्र के प्रयोगशाला और/या सत्रीय विषयों में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में, संबंधित शिक्षक, अपने विवेक से, छात्र को अतिरिक्त समय दे सकता है जो 3 महीने से अधिक न हो और 'आई' ग्रेड प्रदान कर सकता है। यदि किसी छात्र को ऐसा कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है, तो उसे उसी आवश्यकता के लिए जल्द से जल्द अगले सेमेस्टर, जिसमें यह पेशकश की जाती है, में फिर से पंजीकरण करना होगा।
- 15.4 500/- (पांच सौ रुपये) प्रति विषय शुल्क की प्राप्ति पर 80 अंकों के लिए छात्रों के लिए पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि तीन घंटे होगी।

**16. मेक-अप परीक्षाएं**

- 16.1 वे छात्र, जिन्होंने वैध कारणों से अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में भाग न लिया हो और जिन्हें 'आई' ग्रेड प्रदान किया गया हो, वे मेक-अप परीक्षा के पात्र होते हैं। उन्हें अपनी अनुपस्थिति के कारणों को बताते हुए परीक्षा छूटने की तारीख से सात दिनों के भीतर अनुदेशक/विभागाध्यक्ष के माध्यम से एसोसिएट डीन (परीक्षा) को आवेदन करना चाहिए।
- 16.2 मध्य-सेमेस्टर परीक्षा और क्विज के लिए कोई मेक-अप परीक्षा निर्धारित नहीं की जाएगी। उपयुक्त साधन से छात्र की दक्षता का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी पूर्णतया शिक्षक की होगी कि क्या वह मामले की सत्यता से संतुष्ट है।
- 16.3 मेक-अप परीक्षा के लिए आधिकारिक अनुमति, बीमारी के कारण अस्पताल में प्रवेश और परीक्षा के समय परिवार में कोई आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों में दी जाएगी। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना होगा। जिन छात्रों को परिसर के बाहर रहने की अनुमति है या जो संस्थान से अलग रहने के लिए अधिकृत हैं, उन्हें सिविल सर्जन के समक्ष एक चिकित्सा अधिकारी से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा समर्थित हो। निजी चिकित्सकों का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अकादमिक मामलों के डीन किसी छात्र को मेक-अप-परीक्षा देने की अनुमति देने में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- 16.4 जिन छात्रों को शिक्षकों द्वारा 'एक्स' ग्रेड प्रदान किया जाता है, वे भी मेकअप परीक्षा के लिए पात्र होते हैं।

16.5 मेक-अप परीक्षाएं एसोसिएट डीन (परीक्षा) द्वारा अधिसूचित तिथियों के अनुसार आयोजित की जाएंगी। किसी भी समय मेक-अप परीक्षाएं केवल डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स की अनुमति से ही आयोजित की जा सकती हैं।

## 17. ग्रेड रोकना

यदि छात्र ने अपनी देनदारियों का भुगतान न किया हो या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हो तो उसके ग्रेड को रोक लिया जाएगा।

## 18. बी.टेक डिग्री अवार्ड हेतु पात्रता

18.1 कोई छात्र बी.टेक डिग्री अवार्ड का पात्र तब होगा, यदि उसने :-

- (क) प्रत्येक विषय (थ्योरिटिकल, प्रयोगशाला, कार्यशाला, सत्रीय इत्यादि), संगोष्ठी, प्रोजेक्ट आदि में ग्रेड 'पी' अथवा उससे ऊपर के ग्रेड के साथ डिग्री की सभी क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा किया हो।
- (ख) डिग्री के लिए सभी गैर-क्रेडिट आवश्यकताओं जैसे कि अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियां आदि को संतोषजनक रूप से पूरा किया हो।
- (ग) "एक उम्मीदवार जो प्रथम बार में सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं उत्तीर्ण करता है और इसके अलावा 8.5 और उससे अधिक का सीजीपीए हासिल करता है, उसे डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी में रखा हुआ घोषित किया जाएगा।
- (घ) स्वर्ण पदक हेतु पात्र होने के लिए एक छात्र को 8 सेमेस्टर के भीतर बी.टेक.कार्यक्रम पूरा करना होगा और पूरे पाठ्यक्रम के किसी भी सेमेस्टर में कोई बैक-पेपर नहीं होना चाहिए।

एक उम्मीदवार जो सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं उत्तीर्ण करता है और सीजीपीए 6.5 और उससे अधिक लेकिन 8.5 से कम हासिल करता है और पाठ्यक्रम/डिग्री पूरी करता है तो उसे प्रथम श्रेणी में रखा हुआ घोषित किया जाएगा।

एक उम्मीदवार जो सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं उत्तीर्ण करता है और सीजीपीए 5.0 और उससे अधिक लेकिन 6.5 से कम हासिल करता है और पाठ्यक्रम/डिग्री पूरी करता है तो उसे द्वितीय श्रेणी में रखा हुआ घोषित किया जाएगा।" बी.टेक के एक छात्र को अधिकतम 12 (बारह) सेमेस्टर में पाठ्यक्रम पूरा करना होता है।

(क) छात्र पर संस्थान, विभाग, छात्रावास, एनसीसी और एनएसओ का कोई बकाया नहीं होना चाहिए।

(ख) छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए।

18.2 बी.टेक डिग्री प्रदान किए जाने की सिफारिश सीनेट द्वारा की जानी चाहिए और संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।

18.3 विभागीय स्नातक कार्यक्रम समिति (डीयूपीसी)

**घटक:**

(i)	<b>विभागाध्यक्ष (पदेन) (एचओडी)</b>	अध्यक्ष
(ii)	विभाग के 50% संकाय सदस्य जिनमें से अधिकतम छह या न्यूनतम तीन संकाय सदस्य एचओडी द्वारा नामित किए जाएंगे, जिनमें से एक को एचओडी द्वारा सदस्य सचिव के रूप में नामित किया जाएगा।	सदस्यगण
(iii)	एक संकाय सदस्य दूसरे विभाग से। दूसरे विभाग के संकाय सदस्य को संबंधित विभाग के अनुरोध पर उस विभाग के एचओडी द्वारा नामित किया जाएगा।	सदस्य
(iv)	कम से कम 7.5 सीजीपीए वाले दो छात्रों को दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के स्नातक छात्रों द्वारा चुना जाएगा। यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य विभाग से एक छात्र सदस्य को सहयोजित किया जा सकता है। विज्ञान और मानविकी विभागों के लिए, शैक्षणिक मामलों के डीन संबंधित डीयूपीसी में छात्र प्रतिनिधियों को नामित करेंगे।	सदस्यगण

**कार्यकाल:** संकाय सदस्यों के लिए दो वर्ष और छात्र सदस्यों के लिए एक वर्ष।

**समिति के कार्य:**

- विभाग के सभी अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के संचालन की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रमों से संबंधित अध्यादेशों का पालन किया जा रहा है।
- यह सुनिश्चित करना कि विभाग द्वारा प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रमों में उचित शैक्षणिक मानकों को बनाए रखा जा रहा है।
- एक पाठ्यक्रम प्रशिक्षक द्वारा डीयूपीसी को संदर्भित शैक्षणिक मामलों में छात्रों द्वारा कदाचार पर विचार करना और कार्रवाई की सिफारिश करना।
- आवश्यकताओं के अनुसार प्रदर्शन नहीं करने वाले छात्रों के मामलों पर विचार करना और मामला-दर-मामला आधार पर की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई की सिफारिश करना।
- अंडर-ग्रेजुएट स्टडीज बोर्ड (बीयूजीएस) को भेजने से पहले विभाग द्वारा समय-समय पर पेश किए जाने वाले सभी स्नातक पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम में बदलाव पर चर्चा और सिफारिश करना।
- पाठ्यक्रमों पर छात्र प्रतिक्रिया (केवल सारांश डेटा) की समीक्षा करना और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना, यदि कोई हो।

**बोर्ड ऑफ अंडरग्रेजुएट स्टडीस (बीयूजीएस):****घटक:**

(i)	<b>शैक्षणिक मामलों के डीन (पदेन)</b>	अध्यक्ष
(ii)	एचओडी द्वारा नामित और सीनेट द्वारा अनुमोदित प्रत्येक विभाग से एक सदस्य।	सदस्यगण
(iii)	डीआर (अकादमिक) या एआर (अकादमिक)	सदस्य, सचिव

**कार्यकाल:** दो वर्ष।



**समिति के कार्य**

- i. संस्थान के सभी स्नातक पाठ्यक्रमों के संचालन की निगरानी करना।
  - ii. विभागों के प्रस्तावों पर विचार करना और सीनेट को विचार और अनुमोदन के लिए सिफारिशें करना
  - iii. एकरूपता बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन पैटर्न पर विभिन्न विभागों को दिशा-निर्देश जारी करना। विभिन्न विभागों द्वारा अपनाई जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया पर विचार करना और सिफारिश करना।
  - iv. संस्थान के स्नातक कार्यक्रम से संबंधित किसी अन्य मामले पर विचार करना और सिफारिश करना।
19. कोई विषय, जो ऊपर कवर नहीं किया गया हो और यदि कोई अस्पष्टता हो तो संस्थान द्वारा उसका निपटान किया जाएगा और सीनेट के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

[फा. सं. 52-2/2017- त.शि. I]

राकेश रंजन, अपर सचिव (टीई)

**MINISTRY OF EDUCATION**  
**(Department of Higher Education)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th November, 2021

**S.O. 4604(E).**—In exercise of the powers conferred by section 33 read with section 34 (1) (2) and (3) of the Indian Institutes of Information Technology (Public-private Partnership) Act, 2017 (23 of 2017), the Senate with the approval of the Board of Governors, make the following Ordinances of Indian Institute of Information Technology, Agartala.

**Indian Institute of Information Technology Agartala**

**B.Tech. Programme Ordinances**

- 0.1 All B. Tech. programmes offered by the Institute shall be governed by these B.Tech. Ordinances.
- 0.2 The B. Tech Ordinances shall be applicable to any new discipline(s) under these programmes that may be introduced in future.
- 0.3 A student becomes eligible for the award of the B.Tech. degree after fulfilling all the academic requirements as prescribed by these Ordinances.
- 0.4 The Institute shall have the following B.Tech. branches:  
 Computer Science & Engineering (CSE) and may include some other branches in the time to come.

**1. ACADEMIC CALENDAR**

- 1.1 Each academic session is divided into two semesters of approximately eighteen weeks duration (with at-least seventy working days for classes in each semester): a Monsoon semester and a Winter semester.
- 1.2 The Senate approves schedule of academic activities for a session, inclusive of dates for registration, mid-semester and end-semester examinations, inter-semester breaks etc., shall be laid down in the Academic Calendar for the session.

**2. ADMISSION**

- 2.1 The number of seats in each branch of the undergraduate programme for which admission is to be made in the IIIT Agartala will be decided by the Senate of IIIT Agartala. Seats are reserved for candidates belonging to Other Backward Classes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and physically challenged candidates etc., as per the decisions of Government of India from time to time.

**2.2** Admission to the B.Tech.programme in any year will be based as per orders from the Government of India. Currently there are based on performance in the Joint Entrance Examination (JEE) Main and HSC examinations as per Central Board of Secondary Education (CBSE) guidelines through a counselling conducted by the CSAB for the respective year. If the seats are lying vacant after CSAB, Institute can fill these seats on its own.

**2.3** Every student, admitted provisionally or otherwise to any Programme of the Institute, shall submit copies of the qualifying degree/provisional certificate and such other documents as prescribed by the Senate. These documents must be submitted by the prescribed date.

The admission, provisional or otherwise, of any student who either does not submit the required documents by the stipulated date or fails to meet any other stipulated requirement for admission can be cancelled by the Senate.

**2.4** The admission of any student may also be cancelled by the Senate, at any later time, if it is found that the student had supplied some false information or suppressed some relevant information while seeking admission.

**2.5** The Institute reserves the right to cancel the admission of any student and ask him/her to discontinue his/ her studies at any stage of his/her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or on disciplinary grounds.

### **3. ATTENDANCE**

**3.1 a.** It is expected that all the students will attend all the lecture, tutorial, laboratory, practical and workshop classes in each subject. A student, will not be allowed to appear at the Mid/ End semester examination if the attendance falls below 75% in a subject and he/she will be awarded (Fail) "FA" grade in that subject.

**b.** In Extra-Academic Activities (EAC), i.e., NCC, NSS, NSO etc. a student must attend at least 75% of the total classes. The students are also to attend 75% of classes in camps and some other activities/programmes notified from time to time.

#### **3.2 Leave of Absence**

(a) If the period of leave is for a short duration (less than two weeks), prior application for leave shall have to be submitted to the Head of the Department concerned stating fully the reasons of the leave along with supporting document(s). Such leave will be granted by the Head of the Department.

(b) Absence for a period not exceeding two weeks in a semester due to sickness or any other unavoidable reason for which prior application could not be made by the student may be condoned by the Head of the Department provided he/she is satisfied with the explanation.

(c) If the period of absence exceeds two weeks, prior application for grant of leave will have to be submitted to the Dean of Academic Affairs with supporting documents through the Head of the Department in each case. The decision to grant leave shall be taken by the Dean of Academic Affairs on the recommendation of the Head of the Department.

(d) The Dean of Academic Affairs may, on receipt of an application also decide whether the student be asked to withdraw from the course for that particular semester because of long absence.

(e) The leave of absence as per paras 3.2 (a) to (c) will not be condoned for attendance.

**3.3** It will be the responsibility of the student to intimate the warden of the hostel in which he/she is residing, and the concerned instructor(s) about his/her absence before availing the leave.

**3.4** In exceptional circumstances, the Dean of Academic Affairs in consultation with the Chairman, Senate may relax any of the above requirements.

### **4. Conduct and Discipline**

**4.1** The conduct of the students inside and outside the premises of the Institute shall be befitting the students of an institution of national importance.

- 4.2** As per the order of the Hon'ble Supreme Court of India, ragging in any form is banned. Acts of ragging will be considered as a gross indiscipline and will be severely dealt with.
- 4.3** The following acts of omission and/or commission on the part of any student(s) shall constitute gross violation of the code of conduct and will invoke disciplinary measures:
- Ragging
  - Lack of courtesy and decorum, indecent behavior anywhere within or outside the campus.
  - Willful damage or stealthy removal of any property/belongings of the Institute/Hostel or offellow students.
  - Possession, consumption or distribution of alcoholic drinks or any kind of hallucinogenic drugs.
  - Mutilation or unauthorized possession of library books.
  - Noisy and unseemlybehaviour, disturbing studies of fellow students.
  - Hacking in computer systems (such as entering other person's area with prior permission, manipulation and/or damage of computer hardware and software etc.)
  - Any other act of gross indiscipline.
  - Commensurate with the gravity of the offence, the punishment may be reprimand, fine, expulsion from the hostel, debarment from an examination, rustication for a specified period or even out right expulsion from the Institute.
- 4.4** For an offence committed in (a) a hostel (b) a Department or in a classroom and (c) elsewhere, the Warden, the Head of the Department and the Dean of Student Affairs, respectively, shall have the authority to reprimand or impose fine.
- All cases involving punishment other than reprimand shall be reported to the Chairman, Students Disciplinary Committee.
- 4.5** All major acts of indiscipline, which may have serious implications on the general body of students, and/or which may warrant a uniform and more formalized nature of investigation, shall be handled by the Students Disciplinary Committee, appointed by the Senate.
- 4.6** Cases of adoption of unfair means in an examination shall be reported to the Dean of Academic Affairs for taking appropriate action. The action will be as follows:-
- If any student is found adopting unfair means in the Mid-Term/End-Term Examination he/she will be expelled for the subjects only but not for the rest of the examination. Such students will be awarded 'F' Grade in the subjects in which he/she will be found adopting unfair means in the examination.
- 4.7** In the event of a major punishment, the aggrieved party shall have the right to appeal to Chairman, Senate.

## 5. Change of Branch

- 5.1** Normally a student admitted to a particular branch of the under graduate programme (B. Tech) will continue to study in the same branch till completion of the course.
- 5.2** However, in special cases the Institute may permit a student admitted through JoSAA/CSAB to change from one branch of studies to another after the first two semesters. Such changes will be permitted, in accordance with the provisions laid down in 5.3.
- 5.3** Only those students will be eligible for consideration of a change of branch after the second semester who have.
- Completed all the common credits required in the first two semesters of their studies, in their first attempt without having any course requirement in the supplementary examination.
  - Obtained not less than CGPA 8.5 at the end of the second semester.

- 5.4** Applications for a change of branch must be made by intending eligible students in the prescribed form. The Deputy Registrar (Academic)/Assistant Registrar(Academic) will call for applications in the beginning of the odd semester of each academic year and completed forms must be submitted by the last date specified in the notification.
- 5.5** Students may enlist up to six(6) choices of branch, in order of preference, to which they wish to change over. It will not be permissible to alter the choice after the application has been submitted.
- 5.6** Change of branch shall be made strictly in order of merit of the applicants. For this purpose the CGPA obtained at the end of the second semester shall be considered. In case of a tie, the JEE rank of the applicants will be considered.
- 5.7** The applicants may be allowed a change in branch, strictly in order of inter se merit, subject to the limitation that the strength of a branch should not go above the sanctioned strength by more than ten percent.
- 5.8** All changes of branch made in accordance with the above rules will be effective only from the third semester of the applicants concerned. No change of branch shall be permitted after this.
- 5.9** All changes of branch will be final and binding on the applicants. No student will be permitted, under any circumstances, to refuse the change of branch offered.

## **6. Course Structure**

- 6.1** Teaching of the courses shall be reckoned in credits. Credits are assigned to the courses based on the following general pattern:
- 1(one) credit for each lecture period of one hour. 1(one) credit for each tutorial period of one hour.
- 1(one) credit for each Laboratory or Practical or Project session of two hours.
- 2(two) credits for each Laboratory or Practical or Project Session of three hours duration.
- 6.2** In order to qualify for a B.Tech.degree of the Institute, a student is required to complete the credit requirement as prescribed in the curriculum.
- 6.3** No semester will normally have more than six lecture based courses and four laboratory based courses. However, in special cases, students may be permitted to take seven lecture-based and five laboratory/workshop based courses subject to the recommendation of Faculty Advisor and approval of Departmental Under graduate Programme Committee (DUPC).
- 6.4** In addition to the prescribed credit requirement a student shall have to complete the requirements of Extra Academic Activities (EAA) in one of the first 4 semesters. Students will be awarded grades in EAA, which will be recorded in the Grade Card in which a particular student registers for the same but not taken in to account for computing the SGPA and the CGPA.
- 6.5** The course work requirements may be broadly divided into following four main groups of subjects:
- (i) Humanities and Social Sciences
  - (ii) Basic Sciences and Mathematics
  - (iii) Engineering Sciences & Practice
  - (iv) Professional Subjects
- 6.6** The total course package for a department consists of the following components:
- (i) Institutional Core subjects
  - (ii) Departmental Core subjects
  - (iii) Departmental Elective subjects
  - (iv) Institute Elective subjects
- 6.7** Every B. Tech. programme will have a curriculum and syllabi for the courses approved by the Senate.

DUPC will discuss and recommend the syllabi of all the under graduate courses offered by the Department from time to time before sending the same to the Board of Under-Graduate Studies (BUGS). The BUGS will consider the proposals from the Departments and make recommendations to the Senate for consideration and approval.

- 6.8** Medium of instruction, examination and project will be in English.
- 6.9** The curriculum of an individual Department may include industrial training for 6-8 weeks for every under graduate student. Industrial training and/or fieldwork is to be satisfactorily completed before a student is declared eligible for the degree. The curriculum for an individual Department will show a credit allocation for industrial training. Normally industrial training will be arranged during the summer vacation immediately following the sixth semester of studies.
- 6.10** Faculty Advisor: To help the students in planning their courses of study and getting general advice on the academic programme, personality development, career planning and welfare, the concerned Department as far as possible will assign Faculty Advisor(s) for each batch of students. In the first year the Dean of Academic Affairs shall assign Faculty Advisors.

## 7. Registration

- 7.1** Every student is required to register for the approved courses through the Faculty Advisor at the commencement of each semester on the day fixed for such registration and notified in the Academic Calendar.
- 7.2** Students who do not register on the day announced for the purpose may be permitted late registration up to the notified day in Academic Calendar on payment of an additional fee on the following conditions:-
- Registration in any semester shall be allowed up to a period of 7(seven) days beyond the specified date of registration with a fine of Rs.1,000/- (one thousand).
  - Registration in any semester shall also be allowed up to a period of 7(seven) days after the expiry of first 7 (seven) days beyond the specified date of registration with a fine of Rs.5,000/- (five thousand).
  - There shall be no registration after the expiry of 14(fourteen) days beyond the specified date of registration.
  - This shall however not be applicable to the students who register on receipt of bank loan or in the case of exigency such as death of any family member provided the matter of bank loan or expiry of any family member is communicated to Dean (Academic) within 3(three) days after the end of last date of registration.
- 7.3** Only those students who fulfil the following conditions will be permitted to register in the next semester:-
- (a) Cleared all Institute, Hostel and Library dues and fines (if any) of the previous semesters.
  - (b) Paid all required advance payments of Institute and Hostel dues for the current semester, and
  - (c) Cleared the minimum academic requirement.
  - (d) Has not been debarred from registering on any specific ground.
- 7.4** During registration following conditions must be fulfilled:
- (a) A student must pass all first year courses before registering for the **third year courses (5th Semester onwards)**.
  - (b) Normally, the number of credits registered for during a semester should not be less than prescribed credits as stated in the curriculum. *Under special circumstances the Dean (Academic) may permit a student to register for more or less credits in a semester.*

**7.5**

- (a) Students obtaining grade 'F' in any theory subject in any semester may clear it by appearing at the supplementary examinations.
- (b) "Students failing in practical subjects will be awarded 'F' Grade. Such Students will be required to re-register for those subjects in the next appropriate semester".
- (c) Similarly, in case of failure in Extra Academic Activities the student will have to re-register for it in the appropriate semester of the next academic session.

**7.6** Students with year back are exempted from paying tuition fees of the semester in which he/she does not have any back paper.

**7.7** A student who obtains a CGPA less than 6.5 may be permitted by the Dean of Academic Affairs on the recommendations of the Associate Dean (Examination) to appear at the examination for improvement in 3 subject(s) to the maximum in which subjects the student has got at least 'P' grade. A student obtaining 'F' or 'FA' grade in any subject of the current academic session will not be allowed to appear at the examination in any subject for improvement.

**7.8** A student will be allowed to appear at parallel and supplementary examination in 5 subjects to the maximum. A student having a 'FA' grade in any subject will be allowed to appear at the examination after attending required number of classes to be arranged by the concerned faculty with the approval of the Head of the Department.

**7.9** If a student fails to register himself/ herself for two consecutive semesters during the programme, his/ her registration will automatically be cancelled.

**8. Supplementary and Parallel Examination**

**8.1** Students having FA grade (fail due to shortage of attendance) in subject(s) will be allowed to sit for parallel examination after attending 75% of classes and on payment of requisite fee as per Institute Rule. The schedule of classes will be announced by the concerned faculty of the subject(s) as per convenience.

However, B. Tech final year students admitted on or after 2011 and having FA grade in subject(s) will be allowed to sit for parallel examination after attending summer course. Such candidates will be required to pay a Rs.5,000/- per subject.

Students having F grade in subject(s) will also be allowed to appear at the supplementary examination during the summer vacation without attending any classes on payment of requisite fee as per Institute Rule.

**8.2** The schedule of supplementary examination during the summer vacation will be announced by the Associate Dean (Examinations) at the end of even semester examination. A student will have to register for supplementary/ improvement examination by paying the prescribed fee as per Institute Rule within the stipulated time to be announced by the Associate Dean (Examinations).

**8.3** The total number of contact hours for any parallel examination for the students having FA grade will be the same as in the regular course. The assessment procedure in the parallel examination will also be similar to the procedure for a regular semester course. Grades on the result of supplementary parallel/improvement examination will be awarded in the following manner:-

<b>Grade obtained in Supplementary / Parallel/ Improvement Examination</b>	<b>Grade to be awarded</b>
Ex	A
A	B
B	C
C	D
D	P
P	P
F	F

## 9. Duration of the programme

**9.1** Normally a student should complete all the requirements for undergraduate programme in eight semesters. However, academically weaker students who do not fulfill some of the requirements in their first attempt and have to repeat them in subsequent semester(s) may be permitted up to 12 consecutive semesters (from the first semester registration) to complete all the requirements of the degree.

However, if a student is granted a withdrawal for one or more semester on medical ground the withdrawn semester(s) will be counted towards the maximum duration of stay at the Institute.

**9.2** In case a student fails to complete the B.Tech. course within the maximum limit of 12 semesters the case will be decided separately with the approval of the competent authority.

## 10. Temporary withdrawal from the Institute

**10.1** A student who has been admitted to an undergraduate programme of the Institute may be permitted to withdraw temporarily from the Institute on the grounds of prolonged illness or grave calamity in the family for a period of one semester or more, provided:

- (a) He/she applies to the Institute within at least 6 weeks of the commencement of the semester or from the date he/she last attended his/her classes whichever is later, stating fully the reasons for withdrawal together with supporting documents and endorsement of his/her guardian.
- (b) The Institute is satisfied that, counting the period of withdrawal, the student is likely to complete his/her requirements of the B.Tech. degree within the time limits specified in para 10 above.
- (c) There are no outstanding dues or demands of the Institute/Hostel/Library/NCC/NSO.

**10.2** A student who has been granted temporary withdrawal from the Institute under the provisions of para 10.1 will be required to pay fees/charges (except tuition fees and hostel dues) till such time as his/her name is on the Roll List. However, fees once paid will not be returned.

**10.3** For those students who have scored F & FA grade in 4 (Four) or more theory & practical subjects is restricted to register for the next semester, for them the semester fee will be the tuition fee and other essential fees/charges for the intervening period till such time as his/her name is borne on the Roll List, even if they do not have any backlog paper for any of the semester in that particular year.

**10.4** A student will be permitted only one such temporary withdrawal during his/her tenure as a student of the undergraduate programme.

## 11. Restriction / Termination from the programme

A student is required to leave the Institute on the following grounds:

**If at the end of any two semesters (one academic year) a student has scored "F" and "FA" grade in 4 (four) or more theory and practical subjects, he/she will not be permitted to register for the next semester subjects and will have to register for those subjects in which s/he scored "F" and "FA" grades in the previous two semesters (i.e. a student will be promoted with 3 back papers only).**

- (a) If a student is absent for more than 6 (six) weeks in a semester without sanctioned leave his/her name will be struck off the rolls.
- (b) A student may also be required to leave the Institute on disciplinary grounds on the recommendations of the Students Disciplinary Committee.

## 12. Grading System

**12.1** Based on the performance of a student, each student is awarded a final letter grade in each subject at the end of the semester. The institute follows an absolute grading system and has separate scale for theoretical and practical subject. The letter grades and the corresponding grade points are as follows:

**Theoretical Subject**

% of marks	Grades	Points
90 and above	Ex	10
80-89	A	09
70-79	B	08
60-69	C	07
50-59	D	06
40-49	P	05
Below 40	F	--

**Practical Subject**

% of marks	Grades	Points
90 and above	Ex	10
80-89	A	09
70-79	B	08
60-69	C	07
50-59	D	06
Below 50	F	--

In addition, there shall be two transitional grades 'I' and 'X' for the students against whom disciplinary action remains pending.

**12.2** A student is considered to have completed a subject successfully and earned the credits if he secures a letter grade other than 'I', 'X' or 'F' in that subject. A letter grade 'F' in any subject implies a failure in that subject.

**12.3** A student will be considered as Failed in a subject if s/he is not allowed to sit for the examination due to shortage of attendance. To differentiate this with normal failure it will be shown as "F A" in the grade card.

**12.4 The Transitional Grades 'I' and 'X'**

- (a) The teacher of a subject may award the grade 'I' to a student if the latter was compelled to absent himself from the end semester examination on account of: (i) Illness or accident which disabled him from appearing at the examination. (ii) A calamity in the family at the time of the examination, which, in the opinion of the Institute, required the student to be away from the campus.

A student will be eligible for the award of grade 'I' only if his/her attendance at classes and performance in other components of assessment are complete and satisfactory.

- (b) The teacher of a subject may award the grade 'X' to a student if the overall performance of the student in the course is good, but is likely to get grade 'F' based on his/her end semester examination.
- (c) All 'I' and 'X' grades awarded by teachers must be converted by them to appropriate letter grades and communicated to the Academic Section (through Head of the Department) within prescribed days of the respective make up examination. Any outstanding 'I' and 'X' grades two days after the last scheduled make up examination will be automatically converted to an 'F' grade.

**12.5** A Semester Grade Point Average (SGPA) will be computed for each semester as per following formula:-



$$SGPA = \frac{\sum_{i=1}^n C_i G_i}{\sum_{i=1}^n C_i}$$

Where,

$n$  is the number of courses registered during the semester.

$C_i$  is the number of credits allotted to a particular course, and

$G_i$  is the grade points corresponding to the grade awarded for the course.

- 12.6** A Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be computed at the end of each semester as per following formula:-

$$CGPA = \frac{\sum_{i=1}^n *C_i S_i}{\sum_{i=1}^n *C_i}$$

Where,

$S_i$  is the SGPA of the corresponding semesters.

$*C_i$  is the total credit of the corresponding semesters.

- 12.7** Both SGPA and CGPA will be rounded off to second place of decimal and recorded as such. Whenever these CGPA are to be used for the purpose of determining the merit ranking of a group of students, only the rounded off values will be used.
- 12.8** When a student gets the grade 'I' or 'X' for any course during a semester, the SGPA for that semester and the CGPA at the end of that semester will be tentatively calculated ignoring 'I' and 'X' graded course(s). After conversion of 'I' and 'X' grade(s) to appropriate grade(s), the SGPA and CGPA of that semester will finally be recalculated after taking the converted grade(s) in to account.
- 12.9** There are, however, a few other academic requirements for under graduate programmes where student will be awarded following two grades viz., 'P' – Passed and 'NP' – Not Passed. All non-credit subjects (such as field visit and Extra Academic Activities) belong to this category. No grade points are associated with these grades and performance in these subjects is not taken into account in the calculation of the SGPA or CGPA. However, the award of the degree is subject to obtaining a 'P' grade in all subjects.
- 12.10** There will be a grand viva for the B.Tech. final year students of all branches of engineering. In such grand viva an Industrialist with academic background or an academician with industrial background will invariably be invited to remain present and take part in the viva-voce examination.
- 12.11** After the successful completion of vocational training each student will have to submit a report in their respective Department. This will however be a non-credit subject..

### 13. Assessment of performance

- 13.1** There will be continuous assessment of a student's performance throughout the semester and grades will be awarded by the teacher concerned or the appropriate committee appointed for this purpose on the following basis.
- (a) In case of

- (i) Theoretical subjects, the evaluation will be based on teachers assessment, quizzes, mid semester examination and end semester examination, and
- (ii) Sessional subjects (Laboratory/Design/Drawing/Workshop etc.), the evaluation will be on the basis of attendance, assessment of the tasks assigned and the end semester test/viva.
- (b) The evaluation of the project work will be based on Sessional work assigned by the teacher, seminar, project report and project evaluation committee's assessment (also see para 13.2 below)
- (c) In case of other requirements such as seminar, comprehensive viva voce, extra academic activities etc. as determined by the grade awarding authority.
- (d) The mid semester and the end semester examination will be conducted centrally by the Examination/Academic Section of the Institute in every semester.

Admit card is issued to the students at the time of these examinations. If the admit card is lost, a duplicate admit card will be issued against an amount of Rs.200/-. The same can be collected from the Examination Section by showing the ID card.

The students can collect the duplicate admit card after the end of the examination from the Examination Section, paying the requisite amount to the Institute account through challan. He/she have to bring the duplicate admit card in remaining days of the examination.

If any student fail to pay the requisite amount for issuance of duplicate admit card, then their result of that semester will be withheld until the clearance of the due.

The class test or quizzes will be organized by the teachers concerned.

- (e) The results of performance of the students in the midsemester examination shall be announced by the teachers of the subjects concerned within a fortnight of the examination. The teachers will also show the answer-scripts to the students if they want to see within a period of 15 days from the next day of the end of Mid Semester examination.
- (f) The final grades for a subject must be submitted after the end semester examination by the concerned teacher(s) individually to the Asso. Dean (Exam) within 7 (seven) days from the next day of the end of End Semester examination

### 13.2 Evaluation of Projects:

- (a) The project work is normally in two stages, each spread over a semester. At the end of first stage the student is required to submit a preliminary report of his/her work by a prescribed date to the Project Coordinator, Secretary, DUPC and present it to an Internal Project Evaluation Committee. The second stage of work is continued in second semester.
- (b)
  - (i) The Chairman, DUPC will submit to the academic section the names of the project examiners at least two weeks before the submission of the second stage project. Three unbound typed copies of the project report one for each examiner, prepared according to the prescribed format available in the academic section will be submitted to the Department at least one week before the probable date of oral examination.
  - (ii) The Department will record the date of submission of the project and arrange to send the project reports to the examiners. The project coordinator will inform the date of the oral examinations to the examiners and send a copy to the academic section. The project will be evaluated by the Project Evaluation Committee and the result will be submitted to the Project Coordinator, who in turn will forward it to the Academic Section.
  - (iii) On successful completion of the oral examination, each student will be required to submit corrected bound copy of the project report one each to the Department and the supervisor(s).
- (c) Extension of time usually not exceeding 3 months from the announced last date for submission of the project report may be granted by the DUPC in the case of students with insufficient

progress in the project work. In such a case the concerned students will be temporarily awarded 'I' grade. Further, if the reports are not submitted within the allowed period of time, the 'I' will be automatically converted to 'F' grade.

- (d) Those who fail in the first stage assessment will be required to re-register for the first stage in the following semester. Likewise, those who obtainan 'F' grade in the final (second stage) assessment will be required to re-register for it in the subsequent semester (including summer semester).

**13.3** The evaluation of performance in Extra Academic Activities will be done by the section of Dean (SW) and will communicate grades to the Examination Section.

#### **14. Method of awarding letter grades**

**14.1** The teacher(s) shall submit two copies of letter grades to the Head of the Department to which the subject belongs, by the due date specified In the Academic Calendar. Head of the Department will forward all grades to the Examination Section by the due date specified in the calendar.

**14.2** All evaluated work in a subject except end semester answer scripts will be returned to the students promptly. End semester examination answer scripts shall be preserved by the concerned Department and the sheets containing details of marks converted to grades, shall also be preserved by the teacher(s) concerned.

**14.3 Changes in Grades Already Awarded:** If a student feels that the grade awarded to him/her in a course is not correct, he/she may request the teacher of the course to show him/her the end semester answer script in order to ensure that all the questions have been evaluated, before the publication of result.

**14.4** If a student is not satisfied with the result in any subject(s) in any examination even after seeing the answer-script(s) from the faculty may apply for review of marks of the subject(s) on payment of a fee of Rs. 500/- per subject within 30 days from the date of result publication.

**14.5** Distribution of marks in theory subjects:-

The modified distribution of marks of any subject of ODD and EVEN semester of various UGprogrammes will be as follows:

i)	Attendance	-	05
ii)	Quiz	-	05
iii)	Class test	-	10
iv)	Assignment	-	10
v)	Mid-Term	-	20
vi)	End-Term	-	50

However, the examination of mid & end term will be conducted out of 50 & 100 respectively.

**14.6** Distribution of 20 marks of viva-voce in practical subjects:-

The distribution of 20 marks of viva-voce will be as follows:-

- Written test/quiz 10 marks
- Viva-voce test throughout the semester 10 marks

#### **15. Examinations**

**15.1** In assessing the students' performance in subjects (Theory, Laboratory, and Sessional), seminars, project work etc., the system of continuous assessment is adopted by the Institute. In conformity with this practice, there will be one mid semester examination and an end semester examination for every Theoretical subject—in addition to the teachers' assessment and quizzes etc.

- 15.2** A student may be debarred from appearing in the mid or/and end semester examination due to the following reasons:
- (a) If any disciplinary action is taken against him/her.
  - (b) On recommendation of a teacher, if
    - (i) His / her attendance in the Lecture/ Tutorial / Practical classes has been less than 75%.
    - (ii) His/her performance in the Sessional work done during the semester has been unsatisfactory.
- 15.3** In the event of final year student failing in a Laboratory and/or Sessional subjects, the teacher concerned may, at his/her discretion, grant the student an extension of time not exceeding 3 months and award an 'I' grade. If no such extension is given to a student he/she has to re-register for the same requirement in the earliest succeeding semester in which it is offered.
- 15.4** Supplementary examination for the students shall be conducted for 80 marks on realization of a fee of Rs.500/- (Rupees five hundred) persubject. The duration of the examination is three hours.

## **16. Make up Examinations**

- 16.1** Students who have missed an end semester examination on valid reasons and awarded 'I' grade are eligible for make-up examination. They should make an application to the Associate Dean (Examination) through the Instructor/HOD within seven days from the date of examination missed explaining the reasons for their absence.
- 16.2** No make-up-examination will be scheduled for the mid semester examination and quizzes. It is entirely up to the teacher to ascertain the proficiency of the student by whatever means considered appropriate to him/her if he/she is satisfied of the bonafides.
- 16.3** Official permission to a make-up examination will be given under exceptional circumstances such as admission to a hospital due to illness and a calamity in the family at the time of examination. Students residing in the hostels should produce a medical certificate issued by the Institute Medical Officer only. Students who are permitted to stay outside the campus or who have been authorized to be away from the Institute should produce a medical certificate from a Medical Officer not below the rank of a Civil Surgeon and endorsed by the Institute Medical Officer. Certificate from private medical practitioners will not be accepted. The Dean of the Academic Affairs can use his/her discretion in giving permission to a student to take a make-up-examination.
- 16.4** Students who are awarded 'X' grade by the teachers are also eligible for the make-up examination.
- 16.5** Make up examinations will be held as per dates notified by the Associate Dean (Examination). Make up examinations at any other time can be held only with the permission of the Dean of Academic Affairs.

## **17. Withholding of Grades**

Grades shall be withheld when the student has not paid his/her dues or when there is a disciplinary action pending against him/her.

## **18. Eligibility for the award of B. Tech. Degree**

- 18.1** A student shall be declared to be eligible for the award of B.Tech. degree if he/she has
- (a) Completed all the credit requirements for the degree with grade 'P' or higher grade in each of the subjects (Theoretical, Laboratory, Workshop, Sessional etc.), Seminar, Project etc.
  - (b) Satisfactorily completed all the non-credit requirements for the degree viz.-Extra Academic Activities etc.;
  - (c) "A candidate who passes the examination of all semesters in the **1st appearance** and in addition secures a CGPA of 8.5 and above will be declared to have placed in **FIRST CLASS WITH DISTINCTION**.

- (d) A student in order to be eligible for gold medal must complete B.Tech. programme within 8 semesters and not having any back-paper in any semester of the entire course.

A candidate who passes the examinations of all semesters and secures a CGPA 6.5 and above but below 8.5 and completes the course / degree will be declared to have placed in the FIRST CLASS.”

A candidate who passes the examinations of all semesters and secures a CGPA 5.0 and above but below 6.5 and completes the course / degree will be declared to have placed in the SECOND CLASS.” A student of B. Tech has to complete the course within 12 (twelve) semesters to the maximum.

(a) The student should not have any dues to the Institute, Department, Hostels, NCC and NSO.

(b) The student should not have any disciplinary action pending against him/her.

**18.2** The award of B. Tech degree must be recommended by the SENATE and approved by the Board of Governors of the Institute.

**18.3** Departmental Undergraduate Programme Committee (DUPC)

**Composition:**

(i)	<b>Head of the Department (HOD) (ex-officio)</b>	Chairperson
(ii)	50% of the faculty members of the Department with a maximum of six or a minimum of three faculty members to be nominated by the HOD of which one will be nominated by the HOD as the Member Secretary.	Members
(iii)	One faculty member from another Department. The faculty member from the other Department will be nominated by the HOD of that Department on request of the concerned Department.	Member
(iv)	Two students with CGPA not less than 7.5 to be elected by the undergraduate students of the 2nd, 3rd and 4th years. One student member from any other Department may be co-opted, if necessary. For Science and Humanities Departments, the Dean of Academic Affairs shall nominate the student representatives to the DUPC concerned.	Members

**Tenure:** Two years for faculty members and one year for student members.

**Functions of the Committee:**

- To oversee the conduct of all undergraduate courses of the department, and to ensure that the Ordinances relating to the programmes are being followed.
- To ensure proper academic standards are being maintained in the courses offered by the department.
- To consider malpractices by students in academic matters referred to DUPC by a course instructor, and to recommend actions to be taken.
- To consider cases of students not performing as per requirements and to recommend follow up action to be taken on a case-by-case basis.
- To discuss and recommend changes in the syllabi of all undergraduate courses offered by the department from time to time before sending the same to the **Board of Under-Graduate Studies (BUGS)**.
- To review student feedback (summary data only) of courses and to recommend corrective measures, if any.

**Board of Under-Graduate Studies (BUGS):****Composition:**

(i)	<b>Dean of Academic Affairs (ex-officio)</b>	Chairperson
(ii)	One member from each department nominated by the HOD and approved by the Senate.	Members
(iii)	DR (Academic) or AR (Academic)	Member, Secretary

**Tenure:** Two years.

**Functions of the Committee:**

- i. To oversee the conduct of all undergraduate courses of the Institute.
  - ii. To consider the proposals from the Departments and make recommendations to the Senate for consideration and approval.
  - iii. To issue guidelines to various Departments on evaluation pattern of the courses to maintain uniformity. To consider and recommend the assessment procedure to be adopted by various Departments.
  - iv. To consider and recommend any other matter concerning the under graduate programme of the Institute.
- 19.** Anything not covered above and if any ambiguity exists shall be dealt by the Institute and decision of the Chairman SENATE shall be final.

[F. No. 52-2/2017–TS.I]

RAKESH RANJAN, Addl. Secy. (TE)